

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 40(7)ग्रावि/नरेगा/सा.पत्रा/2010

जयपुर, दिनांक

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान।

11 NOV 2011

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नवीन कुआं निर्माण/ कुआं गहरीकरण के कार्यों के संबंध में।

संदर्भ :- कार्यालय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 12.09.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों में सिंचाई सुविधा हेतु नवीन कुआं निर्माण/ कुआं गहरीकरण के संबंध में जिलों से जानकारी चाही जाती रही है। इस संबंध में उक्त संदर्भानुसार स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं कि योजनान्तर्गत जिन क्षेत्रों में कुआं से सिंचाई Prevaling practice है वहाँ पर अपना खेत अपना काम के दिशा निर्देशों के अनुसार कुआं निर्माण/गहरीकरण के कार्य कराए जा सकते हैं (प्रतिलिपि संलग्न)। विभाग द्वारा व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों के संबंध में जारी "अपना खेत अपना काम" दिशा निर्देशों में भी इसका उल्लेख किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को समस्त कार्यों पर अधिकतम ₹ 1.50 लाख तक का ही व्यय अनुमत है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 1 के उप पैरा (iv) में दिनांक 18 जून, 2008 को किये गये संशोधन के अनुरूप व्यक्तिगत लाभार्थी की प्रत्येक परियोजना (कार्य) पर सामग्री मद में अधिकतम 40 प्रतिशत वहन किया जा सकता है। अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि व्यक्तिगत लाभार्थी के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी के लिए ₹ 1.50 लाख से अधिक के कार्य स्वीकृत नहीं किये जावें एवं सामग्री मद में व्यय 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। सामग्री मद में अधिक व्यय होने की स्थिति में यह व्यय लाभार्थी स्वयं द्वारा वहन किया जायेगा।

चूंकि कुआं निर्माण कार्य में सामग्री के साथ-साथ कुशल श्रमिकों जो कि सामग्री मद का ही हिस्सा है, की आवश्यकता अधिक होती है, ऐसी स्थिति में सामग्री मद में व्यय 40 प्रतिशत से अधिक होना लाजमी है। अतः जहां तक संभव हो कुआं निर्माण के स्थान पर फार्म पौण्ड, खेत तलाई इत्यादि अन्य वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जहां पर खेत के पानी को एकत्र कर सिंचाई के लिए काम में लिया जा सकता है, जैसे कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जावे।

भवदीय

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

  
(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 40(7)ग्रावि/नरेगा/सा.पत्रा/2010

जयपुर, दिनांक

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान।

11:2 SEP 2011

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नवीन कुंआ निर्माण/ कुंआ गहरीकरण के कार्यों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों में सिंचाई सुविधा हेतु नवीन कुंआ निर्माण/ कुंआ गहरीकरण के संबंध में जिलों से जानकारी चाही जाती रही है। इस संबंध में लेख है कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी पत्रांक जे-14032/3/2009-नरेगा दिनांक 28.08.2009 में स्पष्ट किया गया है कि योजनान्तर्गत नवीन कुंआ निर्माण/ कुंआ गहरीकरण के कार्य सम्पादित कराये जा सकते हैं (प्रति संलग्न)। केन्द्र सरकार के उक्त पत्र एवं अपना खेत अपना काम योजना के दिशा निर्देश दिनांक 4 व 27 मई, 2011 के क्रम में योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों में सिंचाई सुविधा हेतु नवीन कुंआ निर्माण/ कुंआ गहरीकरण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

- केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) के दिशा निर्देशों के अनुसार डार्क जोन में कुंआ नहीं खोदें जावें एवं ना ही कुंआ का गहरीकरण का कार्य अनुमत किया जावे।
- जिन क्षेत्रों में कुंआ से सिंचाई Prevailing practice है वही पर अपना खेत अपना काम के दिशा निर्देशों के अनुसार कुंआ निर्माण/गहरीकरण के कार्य कराए जा सकते हैं।
- व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को समस्त कार्यों पर अधिकतम रु. 1.50 लाख तक का ही व्यय अनुमत है एवं इसके तहत सामग्री मद में अधिकतम 40 प्रतिशत वहन किया जा सकता है। श्रम व सामग्री का अनुपात 60:40 प्रत्येक पखवाडे से ही संधारित किया जावे। सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अधिक व्यय लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जावे। यदि लाभार्थी सामग्री मद पर होने वाले अधिक व्यय को वहन करने को तैयार नहीं है तो कार्य स्वीकृत नहीं किये जावें।
- जिन क्षेत्रों में पानी सिंचाई योग्य नहीं है, उन क्षेत्रों में नवीन कुंआ निर्माण व कुंआ गहरीकरण का कार्य स्वीकृत नहीं किया जावे।
- कार्य स्वीकृति से पूर्व लाभार्थी से यह वचन/शपथ पत्र ले लिया जावे कि अधिक व्यय को लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा व कार्य बीच में अपूर्ण नहीं छोडा जायेगा। यदि कार्य अपूर्ण छोडा जायेगा तो योजना में सरकार द्वारा वहन की गई राशि वह वापिस लौटायेगा।

- कुंआ खुदाई का कार्य जोखिम भरा होता है इसलिए यह कार्य सावधानीपूर्वक सम्पन्न हो सके, यह सुनिश्चित किया जावे। कार्य सम्पादन के दौरान प्रत्येक पखवाडे के मध्य एक बार तकनीकी अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से कार्य का निरीक्षण किया जावे।
- पूर्व से विद्यमान कुंओं के गहरीकरण के लिए वर्तमान कुंए की नाप व इसकी वर्तमान स्थिति का स्पष्ट इन्द्राज कार्य की पत्रावली, माप पुस्तिका व तकमीने में स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा एवं इसे कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं सहायक अभियन्ता द्वारा भी सत्यापित किया जायेगा।
- जहां तक संभव हो कुंआ निर्माण के स्थान पर फार्म पौण्ड या अन्य वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जहां पर खेत के पानी को एकत्र कर सिंचाई के लिए काम में लिया जा सकता है, जैसे कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जावे।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।


भवदीय

13/09/11  
(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि इन निर्देशों की प्रति जिले के समस्त कनिष्ठ अभियन्ता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक को भी आवश्यक रूप से उपलब्ध करावे।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जयपुर/जोधपुर।
6. रक्षित पत्रावली।



परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस